

फा. सं. 50013/02/2018-समन्वय

६५

भारत सरकार

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

औषध विभाग

\*\*\*\*

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 30 अगस्त, 2018

विषय:- जुलाई, 2018 माह के लिए औषध विभाग के संबंध में मासिक सारांश।

अधोहस्ताक्षरी को औषध विभाग से संबंधित जुलाई, 2018 माह की मासिक सारांश की एक प्रति सूचनार्थ परिचालित करने का निदेश हुआ है।

संजय छाबड़ा

(संजय छाबड़ा) 30/8/18

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. मंत्री परिषद के सभी सदस्य।
2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
3. प्रधान सूचना अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

प्रति:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव।
2. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, शाहजहां रोड़, नई दिल्ली-110069।
3. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004।
4. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली-110004।
5. भारत के प्रधान मंत्री के निजी सचिव, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110004।
6. निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली-110004।
7. सचिव (औषध) के पीएसओ।

औषध विभाग  
रसायन और उर्वरक मंत्रालय

4

जुलाई, 2018 के महीने का मासिक सारांश

जुलाई, 2018 के महीने की महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं:

1. एनपीपीए ने जुलाई, 2018 के दौरान 50 नई दवाइयों के खुदरा मूल्य निर्धारित किए हैं जिससे जुलाई, 2018 तक इनका संचयी आंकड़ा 780 (अर्थात् 2013-14 में 52, 2014-15 में 108, 2015-16 में 124, 2016-17 में 157, 2017-18 में 234 और 2018-19 में जुलाई, 2018 तक 105) हो गया है।
2. जुलाई, 2018 के दौरान राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) की अधिसूचनाओं के विरुद्ध 5 समीक्षा याचिकाओं पर निर्णय लिया गया।
3. जुलाई, 2018 के दौरान प्राप्त कुल अधिप्रभारित राशि 202.87 लाख रुपये है।
4. जुलाई, 2018 के दौरान प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत देश भर में 198 केन्द्र खोले गए थे।
5. जुलाई, 2018 के महीने में, सीपीजीआरएएम पोर्टल के माध्यम से कुल 283 शिकायतें प्राप्त हुईं और 159 का निपटारा किया गया।

\*\*\*\*\*